मध्यप्रदेश विधान सभा

क्रमांक-4

संक्षिप्त कार्य विवरण

पत्रक भाग-एक

गुरुवार, दिनांक 14 जुलाई, 2011 (आषाढ़ 23, 1933)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.31 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. निधन का उल्लेख

अध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 13 जुलाई, 2011 को मुम्बई में आतंकवादियों द्वारा किए गए बम विस्फोट में मृत व्यक्तियों के निधन पर शोकोद्गार व्यक्त किये गये। श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष, सर्वश्री रामलखन सिंह, पारस सकलेचा, चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्यगण ने भी शोकोद्गार व्यक्त किये।

सदन द्वारा दो मिनिट मौन खड़े रहकर, दिवंगतों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई एवं शोक संतप्तजन के प्रति संवेदना प्रकट की गई। पूर्वाह्न 10.42 बजे दिवंगतों के सम्मान में सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित होकर 10.47 बजे पुनः समवेत हुई।

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 9 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये। प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 69 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 61 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

(ग्वालियर शहर में दूषित पेयजल आपूर्ति संबंधी तारांकित प्रश्न संख्या-10 (क्र.1069) पर शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर, श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, सदस्य गर्भगृह में आकर बैठ गए तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री के आश्वासन के पश्चात्, आसंदी के निर्देशानुसार वापस अपने आसन पर गए।)

3. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य ने लहार क्षेत्र में विद्युत खम्बे व तार टूटे होने,
(2) श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष ने सीधी जिला चिकित्सालय में चिकित्सा सुविधाओं का अभाव होने,
(3) श्री तुलसीराम सिलावट, सदस्य ने इन्दौर जिले के सांवेर क्षेत्र के कृषकों को पाला-नुकसानी का मुआवजा न दिए जाने,
(4) श्री सुनील जायसवाल, सदस्य ने प्रदेश के कुछ जिलों में विद्युत व्यवस्था निजी हाथों में सौंपे जाने,
(5) श्री रामनिवास रावत, सदस्य ने विदिशा जिले के अलीगंज निवासी एक दलित व्यक्ति की भूमि पर कब्जा होने,
(6) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, सदस्य ने मंदसौर में कई सड़कों का निर्माण कार्य न होने,
(7) श्री आत्माराम पटेल, सदस्य ने प्रदेश में जर्जर भवनों का निर्माण किये जाने,
(8) श्री मानवेन्द्र सिंह, सदस्य ने छतरपुर के ग्राम चिरवारी में स्वीकृत बालिका छात्रावास का निर्माण न होने तथा
(9) श्री परसराम मुद्गल, सदस्य ने मुरैना जिले में पेयजल संकट होने तथा हैण्डपम्पों पर कब्जे किये जाने

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत कीं।

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री अजय विश्नोई, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम का दशम् वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा, वर्ष 2003-04 पटल पर रखे।

(2) श्री राजेन्द्र शुक्ल, राज्यमंत्री ऊर्जा ने (क) मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग के अंकेक्षित लेखे वित्तीय वर्ष 1999-2000, 2000-01, 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09 एवं 2009-10 तथा (ख) ऊर्जा विभाग की अधिसूचनाएं (i) दिनांक 28 मार्च, 2011 तथा (ii) दिनांक 8 जून, 2011 पटल पर रखीं।

(3) श्रीमती रंजना बघेल, राज्यमंत्री, महिला एवं बाल विकास ने मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग, भोपाल की अनुशंसाओं पर सम्बन्धित विभाग द्वारा की गई कार्यवाही के प्रतिवेदन, वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 पटल पर रखे।

5. ध्यानाकर्षण

अध्यक्ष महोदय द्वारा सूचित किया गया कि नियम 138 (3) के अनुसार, किसी एक बैठक में दो से अधिक ध्यानाकर्षण सूचनाएं नहीं ली जा सकती हैं। सदस्यों की ओर से अभी तक प्राप्त ध्यानाकर्षण की सूचनाओं में दर्शाये गये विषयों की अविलम्बनीयता तथा महत्व के साथ ही माननीय सदस्यों के विशेष आग्रह को देखते हुए सदन की अनुमति की प्रत्याशा में नियम को शिथिल करके आज की कार्यसूची में चार सूचनाएं सम्मिलित किये जाने की अनुज्ञा प्रदान की गई है।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

(1) श्रीमती साधना स्थापक, चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी तथा डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्यगण ने विदिशा जिले में मृत एक व्यक्ति के नाम से भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री करण सिंह वर्मा, राजस्व मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य ने टीकमगढ़ जिले के विद्यालयों में शिक्षकों की कमी से उत्पन्न स्थिति की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्रीमती अर्चना चिटनीस, स्कूल शिक्षा मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(3) श्री तुलसीराम सिलावट, सदस्य ने इंदौर नगर में हत्या होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री उमाशंकर गुप्ता, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(4) श्री लखन घनघोरिया, सदस्य ने जबलपुर के ग्वारीघाट स्थित मंदिरों को हटाये जाने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री बाबूलाल गौर, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

6. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के पन्द्रहवें प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

श्रीमती ललिता यादव, सभापति ने गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का पन्द्रहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

समिति ने दिनांक 15 जुलाई, 2011 को चर्चा के लिये आने वाले गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार किया तथा निम्नलिखित समय अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिये निर्धारित करने की सिफारिश की हैः-

अशासकीय संकल्प क्र.	प्रस्तावक सदस्य	निर्धारित समय
1. (क्रमांक-1)	श्री रामलल्लू वैश्य	30 मिनट
2. (क्रमांक-4)	श्री विश्वास सारंग	1 घण्टा
3. (क्रमांक-22)	श्री के.पी. सिंह	1 घण्टा

श्रीमती ललिता यादव, सभापति ने प्रस्ताव किया कि सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के पन्द्रहवें प्रतिवेदन से सहमत है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

7. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की भिण्ड जिले के -

(क) ग्राम लहार मिहोना, दबोह में विद्युत खम्भे व तार बदले जाने,

(ख) ग्राम मौ से वेहट तक मार्ग निर्माण किये जाने,

(ग) ग्राम असवार से जैतपुरा पहुंच मार्ग निर्माण किये जाने,

(घ) ग्राम चौरई सेवड़ा मार्ग से असवार पहुंच मार्ग निर्माण किये जाने,

(ङ) लहार में आई.टी.आई. भवन की मरम्मत एवं बाउन्ड्रीवाल निर्माण किये जाने,

(च) शासकीय महाविद्यालय लहार में स्टाफ की पदस्थापना किये जाने,

(छ) ग्राम जैतपुरामढ़ी से जगन्नाथपुरा पहुंच मार्ग निर्माण किये जाने, तथा

(ज) भाण्डेर मार्ग से बन्थरी पहुंच मार्ग निर्माण किये जाने,

(2) श्री रामकिशोर कावरे, सदस्य की बालाघाट जिले के -

(क) शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला समनापुर, चांगोटोला, लिंगा एवं हट्टा के भवन निर्माण किये जाने,

(ख) ग्राम पंचायत लामटा लिंगा, परसवाड़ा, पीपरझरी, एवं चंदना में खेल मैदान निर्माण कराये जाने,

(ग) ग्राम खोड़सिवनी, चांगोटोला, तिवड़ीकला, चीनी तथा मोतेगांव में आंगनबाड़ी भवन निर्माण कराये जाने,

(घ) शासकीय हाई स्कूल धनसुआ, शा.मा.शाला पीपरझरी, मगरदर्रा बसेगांव जरेरा का उन्नयन किये जाने,तथा

(ङ) ग्राम अरंडिया, भीड़ी सरेखा, खुरमुण्डी एवं जरेरा में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने,

(3) श्री प्रियव्रत सिंह, सदस्य की राजगढ़ जिले के -

(क) ग्राम गागोरनी हाई स्कूल का उन्नयन किये जाने ,

(ख) ग्राम देवरी प्राथमिक शाला का उन्नयन किये जाने, तथा

(ग) ग्राम घोघरपुर के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का उन्नयन किये जाने,

(4) श्री पारस सकलेचा, सदस्य की रतलाम जिले के -

(क) जावरा शहर के वार्ड-15 महावीर कालोनी में ट्यूबवेल खनन किये जाने,

(ख) जावरा शहर के वार्ड क्र.-9 रामबाग में ट्यूबवेल का खनन किये जाने, तथा

(ग) जावरा शहर के वार्ड क्र.-15 सागरमोती परिसर में पेयजल व्यवस्था किये जाने,

(5) श्री मोतीलाल तिवारी, सदस्य की सतना जिले के -

(क) ग्राम सभागंज में हायर सेकेण्डरी स्कूल के भवन का निर्माण कराये जाने, तथा

(ख) ग्राम अमदरा के हायर सेकेण्डरी स्कूल के भवन का निर्माण कराये जाने,

(6) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, सदस्य की रतलाम जिले के भीमाखेड़ी रेल्वे फाटक पर अण्डर ब्रिज निर्माण किये जाने तथा

(7) श्री गिरिराज किशोर पोद्दार, सदस्य की कटनी जिले के ग्राम पहाड़ी के वैसाल राम उ.मा. विद्यालय को शासनाधीन करने संबंधी याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं।

8. वर्ष 2011-12 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

श्री राघवजी,वित्त मंत्री ने राज्यपाल महोदय के निर्देशानुसार, वर्ष 2011-12 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन किया।

अध्यक्ष महोदय द्वारा इस पर चर्चा और मतदान के लिए 18 जुलाई, 2011 को 2 घन्टे का समय नियत किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हरवंश सिंह) पीठासीन हुए।

9. प्रतिवेदनों पर चर्चा (पुनर्ग्रहण)

(2) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) के 17वें वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2010 पर दिनांक 13 जुलाई, 2011 को प्रारम्भ चर्चा के क्रम में निम्नलिखित सदस्यों ने भी भाग लिया:-

(7) श्री के.पी. सिंह

10. अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष, चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी तथा श्री बिसाहूलाल सिंह, सदस्यगण द्वारा प्रतिवेदन पर चर्चा के दौरान, सदन की अधिकारी दीर्घा में विभागीय अधिकारियों की अनुपस्थिति में, चर्चा के औचित्य के संबंध में आसंदी का ध्यान आकर्षित कराया गया। उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संसदीय कार्य मंत्री को विभागीय अधिकारियों को शीघ्र बुलाने हेतु निर्देशित किया गया तथा सदस्यों से प्रतिवेदन पर चर्चा जारी रखने हेतु आग्रह किया गया।

(श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस पक्ष के सदस्यगण द्वारा विभागीय अधिकारियों की अनुपस्थिति के विरोधस्वरूप, सदन से बहिर्गमन किया गया।)

11. प्रतिवेदनों पर चर्चा (क्रमशः)

(8) श्री आत्माराम पटेल
(9) डॉ. प्रभुराम चौधरी
(10) राव देशराज सिंह यादव

12. अध्यक्षीय घोषणा

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि आज भोजनावकाश स्थगित कर, प्रतिवेदन पर हुई चर्चा का विभागीय मंत्री द्वारा उत्तर दिये जाने तथा मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 पर चर्चा पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की जाती है। दिनांक 15 जुलाई, 2011 को "गुरू-पूर्णिमा" के उपलक्ष्य में सदन की बैठक का अवकाश रहेगा।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

13. प्रतिवेदनों पर चर्चा (क्रमशः)

श्री कन्हैयालाल अग्रवाल, राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन ने चर्चा का उत्तर दिया।

14. अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष तथा श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति, सदस्य द्वारा राज्य महिला आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन पर चर्चा के दौरान, विभागीय मंत्री की अनुपस्थिति के संबंध में आसंदी का ध्यान आकर्षित कराया गया। उपाध्यक्ष महोदय द्वारा विभागीय मंत्री के सदन में उपस्थित होने तक, सदस्यों के सुझावों को अभिलिखित करने हेतु संसदीय कार्य मंत्री को निर्देशित किया गया।

15. प्रतिवेदनों पर चर्चा (क्रमशः)

(3) मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 पर चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्रीमती साधना स्थापक
(2) श्री रामलखन सिंह
(3) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा
(4) श्री हेमराज सिंह कल्पोनी

श्रीमती रंजना बघेल, राज्यमंत्री, महिला एवं बाल विकास ने चर्चा का उत्तर दिया।

अपराह्न 2.08 बजे विधान सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 18 जुलाई, 2011 (आषाढ़ 27, 1933) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 14 जुलाई, 2011